

०३/०५/२१

कार्यालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।

प्रशासनिक आदेश

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मजिस्ट्रेट न्यायालयों के रिक्त व परिवर्तित होने के कारण माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से विचार विमर्श के उपरान्त ग्राम न्यायालय रामनगर व सिरौली गौसपुर के सम्बन्ध में पारित प्रशासिक आदेश दिनांकित 13-09-2023 व ग्राम न्यायालय फतेहपुर बाराबंकी के सम्बन्ध में पारित प्रशासिक आदेश दिनांकित 09-12-2023 को छोड़कर पूर्व में मजिस्ट्रेट न्यायालयों के कार्य वितरण के सभी आदेश को तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी करते हुए मजिस्ट्रेट, न्यायालयों के कार्य वितरण के सम्बन्ध में निम्न आदेश पारित किया जाता है:--

जनपद बाराबंकी में स्थित थानों से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी व परिवाद वाद, घरेलू हिंसा एवं अन्य अधिनियम के अधीन संस्थित वादों की सुनवायी का क्षेत्राधिकार (ग्राम न्यायालय रामनगर, सिरौली गौसपुर व फतेहपुर बाराबंकी की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले राजस्व ग्राम/ग्राम के फौजदारी वादों के दो साल तक की सजा के प्रकरण, बीस हजार रुपयों तक के चोरी के प्रकरण तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 को छोड़कर) दिनांक 04-05-2024 से निम्नवत रहेगा-

1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं-०-१८, बाराबंकी।

- (i) थाना कोतवाली नगर, थाना कोतवाली फतेहपुर, थाना जैदपुर के पुलिस चालानी वाद।
- (ii) भा० दं० सं० की धारा-३०२ व ३०४ बी के अन्तर्गत संस्थित होने वाले समस्त थानों से सम्बन्धित सभी प्रकार के वाद।
- (iii) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत समस्त विभागीय चालानी।
- (iv) ए० आर० टी० ओ० चालानी व नवीन यातायात चालानी (जो टैक्स से सम्बन्धित नहीं है)।
नवीन यातायात से सम्बन्धित चालानी (जो टैक्स से सम्बन्धित नहीं है)।
- (v) वन अधिनियम व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत संस्थित होने वाले पुलिस चालानी वाद।
- (vi) वन विभाग द्वारा किये गये समस्त विभागीय चालान।

2. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं-०-१७, बाराबंकी।

कोतवाली देवां, थाना कोतवाली हैदरगढ़, थाना मसौली एवं थाना कोठी के पुलिस चालानी वाद। ए० आर० टी० ओ० चालानी (टैक्स से सम्बन्धित) व इसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित आर्थिक अपराध से सम्बन्धित वाद।

3. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं-०-१९, बाराबंकी।

थाना सफदरगंज, थाना लोनीकटरा, जहांगीराबाद व थाना बड़ूपुर से सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद।

4. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं-०-२५, बाराबंकी।

थाना दरियाबाद, थाना टिकेतनगर, थाना रामसनेही घाट व थाना असन्द्रा से सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद।

5. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं-०-१६, बाराबंकी।

थाना सतरिख, थाना कुर्सी, थाना रामनगर, थाना जी०आर०पी० व साइबर क्राइम पुलिस थाना से सम्बन्धित पुलिस चालानी।

6. अपर सिविल जज (सी० डि०) / अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं-०-४८, बाराबंकी।

थाना बदोसराय, थाना घुंघटेर व महिला थाना से सम्बन्धित पुलिस चलानी वाद तथा थाना कोतवाली नगर, थाना फतेहपुर व थाना जैदपुर बाराबंकी से सम्बन्धित धारा 138 Negotiable Instrument Act. के वाद।

7. सिविल जज (सी० डि०) F.T.C. / अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं-०-३८, बाराबंकी।

थाना मोहम्मदपुर खाला से सम्बन्धित पुलिस चलानी वाद व थाना कोतवाली नगर, थाना जैदपुर व थाना फतेहपुर बाराबंकी से सम्बन्धित परिवाद व घरेलू हिंसा के वाद के साथ ही थाना पटरंगा, मवई एवं रुदोली से सम्बन्धित पुराने लम्बित वाद।

8. सिविल जज (ज० डि०) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं-०-२४ हैदरगढ़ (दूरस्थ न्यायालय)

थाना सुबेहा के समस्त पुलिस चालानी वाद व थाना हैदरगढ़ व थाना कोठी के परिवाद। थाना लोनीकटरा से सम्बन्धित परिवाद जो पूर्व से आज आदेश पारित की तिथि तक लम्बित है, उन्हीं वादों के सुनवायी की क्षेत्राधिकारिता होगी।

दिनांक 01-04-2017 से थाना कोतवाली हैदरगढ़ से सम्बन्धित सम्मन ट्रायल वादों की सुनवायी की क्षेत्राधिकारिता पूर्व की भाँति ही न्यायालय सिविल जज (J.D.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं०-२४, हैदरगढ़ बाराबंकी को यथावत रहेगी।

'मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाराबंकी के न्यायालय से सम्बन्धित परिवाद व घरेलू हिंसा के वादों की सुनवायी की क्षेत्राधिकारिता ऊपर पारित आदेश के अनुसार होगी तथा अन्य थानों से सम्बन्धित परिवाद व घरेलू हिंसा के वादों की सुनवायी की क्षेत्राधिकारिता सम्बन्धित थानों की पुलिस चालानी की सुनवायी की क्षेत्राधिकारिता रखने वाले न्यायालयों [थाना लोनीकटरा से सम्बन्धित परिवाद (जो पूर्व से आज आदेश पारित की तिथि तक लम्बित है) तथा थाना हैदरगढ़ व थाना कोठी को छोड़कर] के पीठासीन अधिकारियों की होगी।'

विशेष अधिनियम से सम्बन्धित वादों की सुनवायी की क्षेत्राधिकारिता निम्नवत होगी—

- (i) गौवध निवारण अधिनियम के अन्तर्गत संस्थित होने वाले वादों की सुनवायी का क्षेत्राधिकार, थाने के अनुसार क्षेत्राधिकारिता वाले सम्बन्धित न्यायालयों की होगी।
- (ii) लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के अन्तर्गत संस्थित होने वाले वादों की सुनवायी का क्षेत्राधिकार, थाने के अनुसार क्षेत्राधिकारिता वाले सम्बन्धित न्यायालयों की होगी।
- (iii) घरेलू हिंसा अधिनियम से सम्बन्धित संस्थित होने वाले वादों की सुनवायी का क्षेत्राधिकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को छोड़कर (उपर पारित आदेश के अनुसार) सभी थानों के अनुसार क्षेत्राधिकारिता रखने वाले सम्बन्धित न्यायालयों की होगी।
- (iv) राजपत्रित अधिकारियों से सम्बन्धित वादों की सुनवायी का क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में होगा। इसके अतिरिक्त अन्य सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित वादों की सुनवायी का क्षेत्राधिकार ''केवल धारा-156(3) दं0 प्र0 सं0 के प्रार्थना-पत्र को छोड़कर'' पुलिस थाना अनुसार सम्बन्धित न्यायालयों को होगा।
- (v) सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 से सम्बन्धित सारे आपराधिक मामलो (302 व 304 बी भा0 दं0 सं0 सहित) की सुनवायी का क्षेत्राधिकार अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0-17, बाराबंकी, के न्यायालय का होगा।
- (vi) सहकारी समितियों के गबन के मामलो (धारा-406, 408, 409, 420, 120 ख, 467, 471 भा0 दं0 सं0 से सम्बन्धित) की सुनवायी का क्षेत्राधिकार अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0-17 का होगा।
- (vii) धारा 138 Negotiable Instrument Act. के अन्तर्गत संस्थित होने वाले वादों की सुनवायी का क्षेत्राधिकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को छोड़कर (उपर पारित आदेश के अनुसार) सभी थानों के अनुसार क्षेत्राधिकारिता रखने वाले सम्बन्धित न्यायालयों की होगी।

उपरोक्त अधिनियमों के अतिरिक्त किसी अन्य विशेष अधिनियम से सम्बन्धित वाद की सुनवायी का क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को होगा, लेकिन आज दिनांक तक अन्य विशेष अधिनियम के जो वाद जिस न्यायालय में लम्बित है वे उसी न्यायालय में विधि अनुसार निस्तारण हेतु यथावत बने रहेगे।

सम्बन्धित कार्यालय लिपिकगण पत्रावलियाँ सम्बन्धित न्यायालय को आदेश प्रभावी की तिथि से भौतिक रूप से तथा C.I.S. के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(सुधा सिंह)

सी0 जे0 एम 0 बाराबंकी

02-05-2024

प्रतिलिपि-

माननीय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

निम्नलिखित को अनुपालनार्थ प्रेषित:-

1. पुलिस अधीक्षक बाराबंकी।
2. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0 17, बाराबंकी।
3. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0 19, बाराबंकी।
4. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0 25, बाराबंकी।
5. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0 16, बाराबंकी।
6. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0 11, बाराबंकी।
7. सिविल जज (सी0 डि�0) F.T.C/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0-38, बाराबंकी।
8. सिविल जज (जृ0 डि�0)/F.T.C. न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0-43, बाराबंकी।
9. अपर सिविल जज (जृ0 डि�0) कोर्ट नं0-39 बाराबंकी।
10. सिविल जज (जृ0 डि�0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0-24, हैदरगढ़, बाराबंकी।
11. संयुक्त निदेशक, अभियोजन बाराबंकी।
12. अध्यक्ष जिला बार एसोसियेशन, बाराबंकी।
13. अधीक्षक जिला कारागार, बाराबंकी।
14. कम्प्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय, बाराबंकी।
15. कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।

सी0 जे0 एम 0, बाराबंकी।

02-05-2024